पत्र सूचना शाखा
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0

<u>राज्यपाल ने दो विधेयकों को अनुमति प्रदान की</u>

लखनऊः 12 अप्रैल, 2018

उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री राम नाईक ने राज्य विधान मण्डल से पारित विधेयकों (1) उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक 2018 एवं (2) उत्तर प्रदेश नगर पालिका (संशोधन) विधेयक 2018 पर अपनी सहमति प्रदान की है। राज्यपाल द्वारा सहमति प्रदान किये गये दोनों विधेयकों के संबंध में पूर्व में 29 जनवरी, 2018 को अध्यादेश जारी किया गया था।

उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक 2018 द्वारा पूर्व में अधिनियमित उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 114 के खण्ड (21) तथा धारा 422 को संशोधित कर उसमें से 'वध शाला' शब्द निकाल दिया गया है तथा धारा 429 एवं 430 को विलुप्त कर दिया गया है। उक्त अधिनियम की धारा 429 एवं 430, पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम 1960 तथा खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 तथा तद्धीन बनायी गयी नियमावली के उपबंधों के अनुरूप नहीं थे।

उत्तर प्रदेश नगर पालिका (संशोधन) विधेयक 2018 द्वारा पूर्व में अधिनियमित उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 7 की उपधारा (1) के खण्ड (ज) को संशोधित कर उसमें से 'वध शाला' शब्द निकाल दिया गया है और धारा 237 एवं 238 को विलुप्त कर दिया गया है। उक्त अधिनियम की धारा 237 एवं 238, पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम 1960 तथा खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 तथा तद्धीन बनायी गयी नियमावली के उपबंधों के अनुरूप नहीं थे।

अंजुम/ललित/राजभवन (149/21)